भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १३ मई, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short notice Questions and Answers.

EMPLOYMENT OF SHRI RAJNANDAN PRASAD, SON OF A POLITICAL SUFFERER.

397. Shri RAMANAND UPADHYA: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that one Shri Rajnandan Prasad, son of the late Babu Devi Prasad of village Koilwar, P. O. Koilwar, district Shahabad, is a political sufferer, under clauses 1, 2, 8, and 9;

(*b*) whether it is a fact that his father the late Babu Devi Prasad died as a result of atrocities committed by the police officials on him and he was seriously beaten;

(*c*) whether it is a fact that after his death there is none to look after his poor family except his son, Shri Rajnandan Prasad, who is still unemployed;

(*d*) if the answer to clause (*c*) be in the affirmative, what action is being proposed to be taken by Government to see that Shri Rajnandan Prasad gets an employment or source by which he can maintain his family, if not, why;

(*e*) whether it is a fact that in spite of many efforts the said Rajnandan Prasad has failed to get any employment as yet, if so, what is being done to give him any employment?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) उत्तर हां है। यह समझ में नहीं आता कि माननीय

सदस्य ने जो यह लिखा है कि क्लाजेज १, २, ८ और ९ उसका क्या मतलब है।

(ख) डी० एम० ने रिपोर्ट में कहा है कि यह बात सही नहीं है कि उनके पिता देवी प्रसाद सिंह पुलिस के द्वारा १९४२ के आन्दोलन में मारे गये थे लेकिन यह रिपोर्ट डी० एम० ने की है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पुलिस के अत्याचार के परिणामस्वरूप वे मरे।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जो प्रश्न है उसी का जवाब यह है कि यह सत्य नहीं है

कि श्री देवी प्रसाद पुलिस के द्वारा मारे गये।

(ग) इसका उत्तर हां है।

(घ) और (ङ) ५०० रुपया राजेन्द्र प्रसाद को सैंकशन हुआ है मगर उनका केस रिव्यू बोर्ड में रखा जाएगा। पोलिटिकल सफरर को नौकरी में कनसेसन देने के लिये जो अवधि थी वह ३१ दिसम्बर, १९५१ को समाप्त हो गई।

SPEAKER : Hon'ble Minister Shri Shiva Nandan Prasad Mandal is absent from the House, therefore, the questions with which he is concerned will reamin un-answered today.

श्री अनाथ कान्त वसु—क्या सरकार समझती है कि जितने फोर्स दिये गये हैं वे वहां के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए काफी हैं ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—गवर्नमेंट समझती है कि काफी है।

श्री त्रिवेणी कुमार—और जिलों में कैट्ल लिफटिंग के केसेज होते हैं तो क्या पूर्णिया में भी होना जस्टिफायड है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—यह कहना गलत है कि पूर्णिया में ही यह बात होती है।

दीघा थाने के अन्तर्गत गांव के लोगों को सहायता।

*२४११। श्री मुंगेरी लाल—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि १९४२ में दीघा थाना में हेंडर्सन नामक आई० जी० एन० कम्पनी के कमान्डर को मारने का एक सनसनी मुकदमा चला था;

(ख) उसमें उस थाना के कई गांवों के बहुत से लोग मुदालेह बनाये गये थे, जिससे उन्हें काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी;

(ग) अगर उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार उनलोगों को राजनीतिक पीड़ित समझ कर आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) एक मुकदमा १४७ और ३०८, आई० पी० सी० के अनुसार दाघा पुलिस स्टेशन में कैप्टन जे० एस० रुबन की रिपोर्ट में है कि आई० जी० एन० कम्पनी के कमान्डर को मारने का दायर किया गया था।

(ख) यह केस दायर किया गया था ३० आदमियों पर एक, व्यक्ति जिसका नाम इन्दर सिंह था इस केस से सेन्टेन्स किया गया था लेकिन जब पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी तो यह डिसचार्ज कर दिया गया। गवर्नमेंट के पास कोई खबर नहीं है कि एक्युजूड को इस मुकदमे के कारण बहुत अधिक क्षति हुई।

(ग) एक व्यक्ति जिसका नाम इन्दर सिंह, सन ऑफ महावीर सिंह ने रिलीफ के लिए दरखास्त दी है इस आधार पर कि वह पौलिटिकल सफरर है, उनकी दरखास्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना के पास भेज दी गयी है जाँच करके रिपोर्ट करने के लिए। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आ जायगी तब उनकी दरखास्त पर उचित कार्रवाई होगी।

श्री मुंगेरी लाल—क्या सरकार को पता है कि ३० मुद्दालय बनाये गये थे उन पर चार्ज-शीट हुआ था और उन्हें काफी क्षति उठानी पड़ी थी ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें एक ही आदमी इन्द्रदेव सिंह पर मुकदमा चलाया गया था। जब पुलिस ने फाइनल दिया तो वह छोड़ दिया गया।

श्री मुंगेरी लाल—क्या सरकार को मालूम है कि उन ३० मुद्दालयों में एक दीघा कांग्रेस कमिटी के सभापति भी थे, उन पर भी मुकदमा चलाया गया था?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उस वक्त कांग्रेस पर मुकदमा चलाना तो स्वाभाविक था।

हो सकता है कि मुकदमा चलाया गया हो।

श्री मुंगेरी लाल—क्या सरकार को मालूम है कि इन ३० मुद्दालयों में से एक दीघा कांग्रेस कमिटी के सभापति थे और उनको काफी क्षति हुई थी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह पुराने वक्त की रिपोर्ट की बात माननीय सदस्य कह रहें हैं। माननीय सदस्य को अगर खबर है तो इसकी सूचना गवर्नमेंट को दें उस आधार पर सरकार जांच करेगी। जो हमारे पास रेकर्ड है उस आधार पर मैंने जांच की।

CHIEF SECRETARY'S ORDERS.

†* 2552. Shri **RAMANAND TIWARY**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Chief Secretary to Government sits very late every day in office, i.e., sometimes up to 8 P. M. or 9. P. M.;

(*b*) whether it is a fact that he has passed orders that some of the assistants of his department should remain present in office so long he sits in the office;

(*c*) if the answer to clauses (*a*) and (*b*) be in the affirmative, do Government wish to compensate these assistants for their over-time work; if not why?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) साधारणत: चीफ सेक्रेटरी को शाम के वक्त देर तक काम करना पड़ता है।

(ख) ताकि ऐसे कागज जिन पर तुरंत करंवाई करना है, जो अरजेंट है उसका आफिस में डिले न हो जाय, चीफ सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर जारी किया ह जिसके अनुसार एक असिस्टेंट हरेक यूनिट का आफिस में रहता है, जबतक चीफ सेक्रेटरी चले न जायें। यह सिलसिला भी लागू होता है सिफ सटरडे को और उन दिनों में जिसके बाद होली-डे होने वाला है। आफिस असिस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा एक घंटा या दो घंटा आफिस में ठहरना पड़ता है।

(ग) गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कभी आफिस आवर के बाद तक काम करने के लिए कोई अडिशनल रेम्युनरेशन भत्ता या कम्पेंन्सेसन नहीं मिलता है।

CAMPING AT RANCHI.

* 2553. Shri **HARMAN LAKRA**: Will the Chief Minister be pleased to state—

† प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री त्रिवेनी कुमार के अनुरोध से उत्तर दिया गया।